<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 34/2021 (उदयपुर आर्डर)</u>

1. सका पिता उदा जी डांगी, निवासी धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. परथा उर्फ पृथ्वीराज पिता उदा जी डांगी, निवासी धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. प्रभू पिता उदा जी धोबी, जाति धोबी, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
29.06.2011 प्रकरण संख्या 189/2009

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

–––::–––

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 07–08–2024</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धमानिया में आराजी नंबर 549, 555/7 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित होकर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आप न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें भूमि उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से क्रय करना बताया है, जिसके प्रकरण संख्या 156/2007 [illegible] कर निर्णय दिनांक 27–01–2009 होकर उक्त विक्रय पत्र की धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

विपरीत होना मानते हुए तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। अतः विवादित आराजियात से विपक्षी संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर भूमि राजकीय सिवाय चक या बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29—06—2011 से विपक्षी संख्या 1 व 2 को मौके से बेदखल कर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील दिनांक 29—11—2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इन्हीं आराजियात एवं इन्हीं उनवान बाबत् न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अन्य अपील संख्या 90/2021 में आज दिनांक को ही निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण सका व परथा द्वारा प्रस्तुत अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जा चुकी है। तद्नुसार यह अपील भी बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29—06—2011 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 07—08—2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested